" स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश "

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (xx) के अंतर्गत)

लोक सेवा प्रबंधक/ कार्यालय सहायक स्थान-परिवर्तन नीति 2015 प्रभावशील है।

45

मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक-एफ-2-7/2015/लोसेप्र/61 भोपाल, दिनांक 13/10/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषयः - लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम- 2010 के प्रभावी क्रियान्यन हेतु समस्त जिलों में संविदा पर पदस्थ जिला प्रबंधक (लोक सेवा) तथा कार्यालय सहायक (लोक सेवा) हेतु स्थान परिवर्तन नीति।

0-0

लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम- 2010 के प्रभावी क्रियान्यन हेतु समस्त जिलों में संविदा पर पदस्थ जिला प्रबंधक (लोक सेवा) तथा कार्यालय सहायक (लोक सेवा) हेतु शासन स्तर पर तैयार की गई "स्थान परिवर्तन नीति" आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैं।

संलग्न -उपरोक्तानुसार

(हरिरंजन राव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक-एफ-2-7/2015/लोसेप्र/61 भोपाल, दिनांक 13/10/2015

प्रतिलिपि :-

2. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण म.प्र.,भोपाल, की ओर लेख है कि उपरोक्तानुसार "स्थान परिवर्तन नीति" हेतु रिक्त पदों की जानकारी बेवसाईड पर यथा समय अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त जिला प्रबंधक (लोक सेवा) मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हरिरंजन राव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मध्य प्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, भोपाल

जिला प्रबंधक (लोक सेवा) तथा कार्यालय सहायकों हेतु स्थान परिवर्तन नीति

लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय (लोक सेवा प्रबंधन विभाग) में संविदा आधार पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोक सेवा) एवं कार्यालय सहायक (लोक सेवा) हेतु स्वैच्छिक/ परस्पर सहमति के आधार पर स्थान परिवर्तन का अवसर प्रदान करने हेतु शासन द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय (लोक सेवा प्रबंधन विभाग) में संविदा आधार पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोक सेवा) एवं कार्यालय सहायक (लोक सेवा) रिक्त स्थानों की सूची लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय द्वारा संधारित की जावेगी।
2. स्थान परिवर्तन प्रस्ताव केवल रिक्त पदों के विरूद्ध/ आपसी सहमति (म्युचुअल आधार) पर ही किये जायेंगे। इस हेतु रिक्त पदों की जानकारी राज्य लोक सेवा अभिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जावेगी।
3. स्वैच्छिक श्रेणी के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में (व्यक्तिगत स्थान परिवर्तन हेतु प्रपत्र- "अ" एवं परस्पर सहमति से स्थान परिवर्तन हेतु प्रपत्र-"ब") में कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त किये जा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में तीन विकल्प वरीयता क्रम में दिये जाने के साथ ही संलग्न निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र (सादे कागज पर) देना होगा। परस्पर सहमति के प्रकरणों में आवेदकों को आवेदन पत्र अपने-अपने नियोक्ता/ जिला कलेक्टर से अग्रेषित कराना आवश्यक होगा। ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित जिला लोक सेवा प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक की जिले द्वारा संविदा निरस्त की जाकर नवीन स्थान पर संविदा निष्पादित की जावेगी।
4. किसी पद के विरूद्ध एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में निम्नानुसार प्राथमिकता प्रदान की जावेगी :- 1.नि:शक्तजन महिला 2. महिला 3. नि:शक्तजन पुरूष 4. पुरूष
5. रिक्त पद के विरूद्ध स्थान परिवर्तन आवेदन भेजते समय प्राथमिकता के क्रम में अधिकतम तीन रिक्त स्थानों के विकल्प दिये जा सकेंगे, जिससे कि स्थान परिवर्तन प्रस्ताव को अन्य उपलब्ध स्थानों के लिये भी विचारण में लिया जा सके।
6. आपसी सहमति के म्युचुअल आधार पर स्थान परिवर्तन हेतु संबंधित आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपनी-अपनी सहमति पत्र तैयार करेंगे और इसे हस्ताक्षरित कर लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय को डाक के माध्यम से भेजेंगे। साथ ही सहमति

पत्र की स्केन प्रति ई-मेल से भी भेजेंगे। सभी आवेदकों के लिये यह अनिवार्य होगा कि सहमति तैयार करने के पूर्व परस्पर इस आशय की सहमति प्राप्त कर लें।

7. स्वैच्छिक स्थान परिवर्तन हेतु किसी प्रकार के व्ययों की प्रतिपूर्ति नहीं की जावेगी। संबंधित को स्वयं के व्यय पर नवीन स्थान पर पहुंच कर कार्यग्रहण करना होगा। कार्यमुक्त होने के बाद अधिकतम 07 दिवस में नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। कार्यमुक्त होने एवं कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि अवैतनिक होगी।
8. स्थान परिवर्तन सूची जारी होने के बाद संबंधित कर्मचारी को अधिकतम 30 दिवसों के भीतर कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यमुक्त होने की कार्यवाही जिला कलेक्टर कार्यालय के द्वारा अधिकतम 30 दिवसों के भीतर अनिवार्यतः की जावेगी।
9. स्थान परिवर्तन की दशा में संबंधित कर्मचारियों को पुनः संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। नवीन अनुबंध की अवधि उतनी ही होगी, जितनी कि पूर्व के अनुबंध में उनके अनुबंध की अवधि शेष बची थी।
10. स्थान परिवर्तन की दशा में वर्तमान अनुबंध समाप्त हो जावेगा किन्तु अनुबंध अनुसार किसी प्रकार की बांड राशि या 01 माह के वेतन जमा करने संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।
11. नवीन जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्वाईन करने पर आवेदक की वरिष्ठता ज्वाईनिंग दिनांक से ही मान्य होगा।
12. सर्वप्रथम एक अवसर वर्तमान में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को दिया जाएगा कि वे अपने पसंद के रिक्त स्थान पर स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकें। इसके पश्चात् रिक्त पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची के आवेदकों से की जावेगी।
13. स्वैच्छिक स्थान परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर पदों की रिक्तता के आधार पर अन्तिम निर्णय लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा लिया जाएगा। लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित जिला प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक (जैसी स्थिति हो) को निर्धारित अवधि में कार्यमुक्त करने तथा ज्वाईन कराने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय बाध्य होगा।
14. स्थान परिर्वतन स्वैच्छिक/ आपसी सहमति पर ही किये जावेंगे। शिकायत अथवा अनियमितता इत्यादि मामलों में नियमानुसार जॉच पश्चात् संविदा समाप्ति संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
15. स्थान परिवर्तन संबंधी कार्यवाही वर्ष में एक बार की जावेगी।
16. स्थान परिवर्तन नीति के अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले के मध्य होने वाले स्थान परिवर्तन ही सम्मिलित होंगे।
17. प्रतिबंध-: 1.किसी जिले में कार्य कर चुके जिला लोक सेवा प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक को पुनः उसी जिले में पदस्थ् करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जावेगा।

2.किसी आवेदक का एक बार स्थान परिवर्तन होने के पश्चात् आवेदक की नवीन पदस्थापना पर पदग्रहण दिनांक से आगामी 03 वर्ष तक उक्त आवेदक के स्थान परिवर्तन आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

3.यदि 03 वर्ष की अवधि के अंदर विवाह के कारण स्थान परिवर्तन चाहा गया है, तो कंडिका- 2 में छूट दी जावेगी।

18.स्थान परिवर्तन होने पर जिला लोक सेवा प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक की व्यक्तिगत सेवा पर प्रभाव :-

जिला लोक सेवा प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक के स्वैच्छिक कारणों से किये गये स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्व नियोक्ता द्वारा संविदा समाप्त की जाएगी एवं नवीन नियोक्ता द्वारा नवीन संविदा निष्पादन की जावेगी। नवीन स्थान पर संविदा निष्पादन के फलस्वरूप पूर्व के पदस्थापना स्थल पर की गई संविदा कार्य अवधि सभी सेवा अभिलेख एवं सभी प्रयोजनों के लिए शून्य मान्य किये जायेंगे। भविष्य में किसी भी प्रकार के मानदेय के लाभ वरीयता आदि की गणना हेतु पूर्व संविदा स्थल की सेवा अवधि की कोई गणना नहीं की जायेगी। नवीन स्थल पर संविदा निष्पादन के समय उक्त आशय का वचन पत्र लिया जाएगा। स्वेच्छा से स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन देते समय भी उक्त बिन्दु पर सहमति दी जायेगी। जिला लोक सेवा प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक को पूर्व स्थल की संविदा निरस्त होने एवं नवीन स्थल पर संविदा निष्पादन के बीच की अवधि का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप संबंधित जिला लोक सेवा प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अथवा अन्य किसी भत्ते/ व्यय की पात्रता नहीं होगी।

19.विवादों का निराकरण :-

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

संलग्न -उपरोक्तानुसार

(हरिरंजन राव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

5

प्रपत्र–अ

49

स्वैच्छिक स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन–पत्र

मैं (पूरा नाम, पिता/पति के नाम सहित).. लोक सेवा प्रबंधन विभाग के परिपत्र क्रमांक .... भोपाल दिनांक .... द्वारा जारी स्थान परिवर्तन नीति की समस्त शर्तो को स्वीकार करते हुए स्थान परिवर्तन हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

मेरी प्रथम नियुक्ति कार्यालयीन आदेश क्र. .... द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय (लोक सेवा प्रबंधन विभाग) के अंतर्गत जिला .... संभाग .... में .... पद पर हुई है। उक्त आदेश के परिपालन में मेरे द्वारा दिनांक .... को पदभार ग्रहण किया गया है। मैं निम्न कारणों से स्थान परिवर्तन चाहता हूँ:–

1. ....

2. ....

कृपया वरीयता अनुसार निम्न जिले में स्थान परिवर्तन करने का कष्ट करें। यदि अपरिहार्य/तकनीकी/पात्रता संबंधी मापदण्डों के कारणों से यदि मेरा स्थान परिवर्तन नहीं हो पाता है तो मैं यथावत वर्तमान पदस्थापना पर कार्य करता रहूँगा।

जिले की वरीयता का क्रम

1. जिला ....
2. जिला ....
3. जिला ....

आवेदक

नाम ....

पदनाम ....

वर्तमान पदस्थापना ....

Section Officer
Govt. of M.P.
Public Service Management Department

6

50

//वचन पत्र//

(प्रपत्र–अ एवं प्रपत्र–ब के साथ अनिवार्यतः संलग्न किया जावे)

मैं (पूरा नाम, पिता/पति के नाम सहित).. वर्तमान में .... के पद पर जिला .... राज्य लोक सेवा अभिकरण के परिपत्र क्र. .... भोपाल दिनांक .... द्वारा जारी स्थान परिवर्तन नीति का भलीभांति अध्ययन कर लिया हैं एवं मुझे शासन की समस्त शर्ते स्वीकार है। मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी सत्य हें मैं इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि स्थान परिवर्तन के अनुरोध पर कार्यवाही मेरा अधिकार नहीं है और इस संबंध में मैं सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय का पालन करूँगा/करूँगी।

दिनांक :

आवेदक

नाम ....

पदनाम ....

वर्तमान पदस्थापना ....

कार्यालय कलेक्टर जिला .... क्रमांक/ .... दिनांक ....

श्री/श्रीमती/कुमारी .... का स्थान परिवर्तन आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

कलेक्टर

जिला ....

(हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा)

Section Officer
Govt. of M.P.
Public Service Management Department

प्रपत्र–ब

परस्पर सहमति आधार पर स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन–पत्र

हम (प्रथम आवेदक का पूरा नाम, पिता/पति के नाम सहित) ....
तथा (द्वितीय आवेदक का पूरा नाम, पिता/पति के नाम सहित) ....
लोक सेवा प्रबंधन विभाग के परिपत्र क्र. .... भोपाल दिनांक ....
द्वारा जारी स्थान परिवर्तन नीति की समस्त शर्तो को स्वीकार करते हुए स्थान परिवर्तन हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे है।

प्रथम आवेदक का विवरण :–

मेरी प्रथम नियुक्ति कार्यालयीन आदेश क्र. .... द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय (लोक सेवा प्रबंधन विभाग) .... पद पर हुई है। उक्त आदेश के परिपालन में मेरे द्वारा दिनांक .... पदभार ग्रहण किया गया है।

द्वितीय आवेदक का विवरण :–

मेरी प्रथम नियुक्ति कार्यालयीन आदेश क्र. .... द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय (लोक सेवा प्रबंधन विभाग)........................ पद पर हुई है। उक्त आदेश के परिपालन में मेरे द्वारा दिनांक .... पदभार ग्रहण किया गया है।

परस्पर सहमति आधार पर स्थान परिवर्तन हेतु हम निम्नानुसार सहमत है :–

आवेदनकर्ता				प्रस्तावित स्वीकारकर्ता			
नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	चाहा गया स्थान	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	चाहा गया स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रथम आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

द्वितीय आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

Section Officer
Govt. of M.P.
... Department

कार्यालय कलेक्टर जिला ....

क्रमांक / ....   दिनांक ....

प्रथम आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी .... पद .... का परस्पर सहमति आधार पर स्थान परिवर्तन आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

कलेक्टर
जिला ....
(हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा)

....

कार्यालय कलेक्टर जिला ....

क्रमांक / ....   दिनांक ....

द्वितीय आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी .... पद .... का परस्पर सहमति आधार पर स्थान परिवर्तन आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

कलेक्टर
जिला ....
(हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा)

Govt. of M.P.
...lic Service Management Department